

राजस्थान सरकार

**मनोनयन मृत्यु एवं निवृत्ति उपादान प्राप्ति के लिये
जब कर्मचारी के परिवार हो व उनमें से किसी एक व्यक्ति को मनोनीत
करना है तो यह फॉर्म काम में लाना है**

मैं निम्नलिखित व्यक्ति को जो मेरा परिवारी हैं, मनोनीत करता हूँ कि उपादान जो सरकार से मेरी मृत्यु होने पर स्वीकृत करें, प्राप्ति का अधिकार देता हूँ।

क्र.सं.	नाम व पता मनोनीत व्यक्ति का	कर्मचारी से संबंध	घटना जिसके होने पर मनोनयन अयोग्य होगा	नाम, पता व संबंध उस व्यक्ति का यदि कोई हो जिसकी मनोनीत व्यक्ति का अधिकारी उसकी कर्मचारी से पहले मृत्यु होने पर मिलेगा

दिनांक माह वर्ष स्थान

हस्ताक्षर गवाह हस्ताक्षर कार्मिक

1.	नाम कार्मिक
	पद
2.	पदस्थापन

यदि कर्मचारी अराजपत्रित हो तो इस फॉर्म की पूर्ति कार्यालयाध्यक्ष करें।

मनोनीत करने वाले का नाम	हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष
पदनाम	तिथि
नाम कार्यालय	पद